न्यायालय सहायक कलक्टर,भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सामनाथ, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2023

उनवान

पंच जुलहान मुसलमान मौजा पुर तहसील भीलवाडा जरिये पंच एवं प्रतिनिधगणः–

1– मोहम्मद हुसेन वल्द करीमबक्ष अंसारी निवासी पुर खेल मोहल्ला पुर भीलवाडा।

2– मेहमूद वल्द मोहम्मद याकूब अंसारी (जुलाहा) निवासी पुर खेल मोहल्ला पुर भीलवाडा।

3– युनुस मोहम्मद वल्द मोहम्मद ईस्माईल अंसारी(जुलाहा) निवासी पुर खेल मोहल्ला पुर अंलुमन स्कूल के पास पुर भीलवडा।

4– गुलाम मोहम्मद अंसारी वल्द मोहम्मद कासिम अंसारी निवासी पुर खेल मोहल्ला पुर भीलवाडा।

– वादीगण

बनाम

– राकेश वल्द शान्तिलाल महाजन (सिंघवी) निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।

– प्रतिवादी

वादपत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा एवं रेकार्ड में त्रुटियों के शुद्विकरण हेतु अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आरटीए 1955 एवं धारा 136 राज0लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता वादीगण श्री श्यामलाल वेद
2. अधिवक्ता प्रतिवादी रेखा ओझा

निर्णय

दिनांक 20.03.2024

वादी ने वादपत्र विरूद्व प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा पुर तहसील भीलवाडा के राजस्व अभिलेख में दर्ज आराजी नम्बर 9602/5813 रकबा 3 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 9603/5806 रकबा 7 बिस्वा भूमि वादी पंच जुलाहन मुसलमान के नाम व खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजी की लगभग 41 वर्ष पूर्व भैरूलाल पिता प्यारचन्द महाजन(सिंघवी) के यहॉ बंधक के रूप में पांच वर्ष तक रही, बंधकदार द्वारा वादी को वादपत्र में वर्णित आराजियात का कब्जा सिपुर्द कर दिया गया था जो अब तक चला आ रहा है, लेकिन जमाबंदी संवत 2037 के पश्चात भी अब तक राजस्व रेकार्ड में वादी पंचजुलाहन मुसलामन के नीचे पूरा खाता मु.बि.क. के रूप में दर्ज होकर राहिन भैरूलाल पिता प्यारचन्द महाजन(सिंघवी) का नाम अब तक विलोपित नही हुआ है। जबकि ऐसा इन्द्राज विलोपित हो जाना चाहिए था, अतः उपरोक्त आराजी की जमाबन्दी में वादी पंचजुलाहान मुसलमान के सिवाय राहिन भैरूलाल पिता प्यारचन्द महाजन अंकन को हटाया जाने या विलोपित किये जासने की डिकी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व जारी कराने की प्रार्थना की गई है। वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2069 से 2073 खाता संख्या 1273 की फोटो प्रति एवं भू प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी संवत 2032 की फोटो प्रति संलग्न की है।

वादी का वादपत्र पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये प्रतिवादी की और से दिनांक 21.07.2023 को इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार भीलवाडा को राजस्व रेकार्ड में दर्ज मु.बि.क. को विलोपित करने के संबंध में रेकार्ड की जांच कर रिपोर्ट तलब की गई, तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्र कमांक भू.अ./2024/650 दिनांक 13.03.2014 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजियात पर समस्त पंचजुलाहान मुसलमान का मौके पर कब्जा है भैरूलाल पिता प्यारचन्द व उनके पुत्र शान्तिलाल की भी मृत्यु हो चुकी है, ग्राम पुर के आराजी नम्बर 9602/5813, 9603/5806 भूमि पर पंचजुलाहान मुसलमान सा0 देह खातेदार मु.बि.क. भैरूलाल पिता प्यारचन्द महाजन के नाम संवत 2033 से आदिनांक तक दर्ज रेकार्ड है, भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने वादपत्र में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड में अंकित राहिन भैरूलाल पिता प्यारचन्द महाजन का नाम हटाया जाने व विलोपित किये जाने की डिकी जारी कराई जावे।

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा

प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रतिवाद में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए निवेद किया है
ुर के आराजी नम्बर 9602/5813, 9603/5806 में दर्ज राहिन भैरूलाल पिता प्यारचन्द महाजन के
को राजस्व जमाबन्दी में हटाये जाने में सहमति प्रकट की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन् किया, पत्रावली में उपलब्ध
ाज का भली भांति परीक्षण किया। वादग्रस्त ग्राम पुर के आराजी नम्बर 9602/5813 रकबा 3 बिस्वा
ाराजी नम्बर 9603/5806 रकबा 7 बिस्वा भूमि वादी पंच जुलाहन मुसलमान के नाम व खातेदारी हक
र्ज होकर मु.बि.क. भैरूलाल पिता प्यारचन्द महाजन सा0 देह खातेदार दर्ज है, भैरूलाल की मृत्यु हो
एवं शान्तिलाल पिता भैरूलाल की भी मृत्यु हो चुकी राकेश पुत्र शान्तिलाल महाजन ने राजस्व रेकार्ड
केत मु.बि.क. भैरूलाल पिता प्यारचन्द महाजन का नाम विलोपित/हटाये जाने में सहमति प्रकट की
ादी का वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन अनुसार स्वीकार योग्य ठहरता है अतः एवं

:: <u>आदेश</u> ::

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आरटीए 1955 एवं धारा 136 राज0लेण्ड रेवेन्यू
1956 का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हे
ाम पुर के आराजी नम्बर 9602/5813 रकबा 3 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 9603/5806 रकबा 7
में अंकित पंचजुलाहन मुसलमान सा0 देह हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए राहिन(पूर्ण खाता) भैरूलाल
प्यारचन्द महाजन सा0 देह अंकित में से राहिन पूर्ण खाता भैरूलाल पिता प्यारचन्द जाति महाजन सा0
का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाने व विलोपित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।
लदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज हटाने की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन
अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20 मार्च 2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में
ा गया।

सहायक कलक्टर
भीलवाडा